Section 2 : Definitions

(1) In this Act, unless the context otherwise requires, —

(a) **"central tax"** means the central goods and services tax levied and collected under the Central Goods and Services Tax Act;

(b) **"Central Goods and Services Tax Act"** means the Central Goods and Services Tax Act, 2017;

(c) **"cess"** means the goods and services tax compensation cess levied under section 8;

(d) **"compensation"** means an amount, in the form of goods and services tax compensation, as determined under section 7;

(e) **"Council"** means the Goods and Services Tax Council constituted under the provisions of article 279A of the Constitution;

(f) **"Fund"** means the Goods and Services Tax Compensation Fund referred to in section 10;

(g) **"input tax"** in relation to a taxable person, means,—

(i) cess charged on any supply of goods or services or both made to him;

(ii) cess charged on import of goods and includes the cess payable on reverse charge basis;

(h) **"Integrated Goods and Services Tax Act"** means the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017;

(i) **"integrated tax"** means the integrated goods and services tax levied and collected under the Integrated Goods and Services Tax Act;

(j) **"prescribed"** means prescribed by rules made, on the recommendations of the Council, under this Act;

(k) **"projected growth rate"** means the rate of growth projected for the transition period as per section 3;

(l) **"Schedule"** means the Schedule appended to this Act;

(m) **"State"** means,––

(i) for the purposes of sections 3, 4, 5, 6 and 7 the States as defined under the Central Goods and Services Tax Act; and

(ii) for the purposes of sections 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14 the States as defined under the Central Goods and Services Tax Act and the Union territories as defined under the Union Territories Goods and Services Tax Act;

(n) **"State tax"** means the State goods and services tax levied and collected under the respective State Goods and Services Tax Act;

(o) **"State Goods and Services Tax Act"** means the law to be made by the State Legislature for levy and collection of tax by the concerned State on supply of goods or services or both;

(p) **"taxable supply''** means a supply of goods or services or both which is chargeable to the cess under this Act;

(q) **"transition date"** shall mean, in respect of any State, the date on which the State Goods and Services Tax Act of the concerned State comes into force;

(r) **"transition period"** means a period of five years from the transition date; and

(s) **"Union Territories Goods and Services Tax Act"** means the Union Territories Goods and Services Tax Act, 2017.

(2) The words and expressions used and not defined in this Act but defined in the Central Goods and Services Tax Act and the Integrated Goods and Services Tax Act shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.

धारा 2 : परिभाषाएं

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) **''केन्द्रीय कर''** से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्गृहीत और संग्रहीत केन्द्रीय माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

(ख) **''केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम''** से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है;

(ग) **''उपकर''** से धारा 8 के अधीन उद्गृहीत माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर अभिप्रेत है;

(घ) **''प्रतिकर''** से धारा 7 के अधीन माल और सेवा कर प्रतिकर के रूप में यथा अवधारित कोई रकम अभिप्रेत है;

(ङ.) **''परिषद्''** से संविधान के अनुच्छेद 279क के उपबन्धों के अधीन गठित माल और सेवा कर परिषद् अभिप्रेत है;

(च) **''निधि''** से धारा 10 में निर्दिष्ट माल और सेवा कर प्रतिकर निधि अभिप्रेत है;

(छ) किसी कराधेय व्यक्ति के सम्बन्ध में **'इनपुट टैक्स''** से निम्नलिखित अभिप्रेत है,–

(i) उसे किए गए मालों या सेवाओं या दोनों की किसी पूर्ति पर प्रभारित उपकर;

(ii) मालों के आयात पर प्रभारित उपकर और इसके अन्तर्गत प्रतिलोम प्रभार के आधार पर संदेय उपकर भी है;

(ज) **''एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम''** से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है;

(झ) **''एकीकृत कर''** से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्गृहीत और संगृहीत एकीकृत माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

(ञ) **''विहित''** से इस अधिनियम के अधीन परिषद् की सिफारिशों पर बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) **''अनुमानित विकास दर''** से धारा 3 के अनुसार संक्रमणकालीन अवधि के लिए विकास की अनुमानित दर अभिप्रेत है;

(ठ) **''अनुसूची''** इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(ड) **''राज्य''** से,–

(i) धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6 और धारा 7 के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित राज्य अभिप्रेत है; और

(ii) धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 11, धारा 12, धारा 13 और धारा 14 के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित राज्य और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;

(ढ) **''राज्य कर''** से अपने–अपने राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्‌गृहीत और संग्रहीत राज्य माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

(ण) **''राज्य माल और सेवा कर अधिनियम''** से सम्बद्ध राज्य द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर कर के उद्‌ग्रहण और संग्रहण के लिए राज्य विधान–मंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि अभिप्रेत है;

(त) **''कराधेय पूर्ति''** से माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन उपकर से प्रभार्य है;

(थ) किसी राज्य के सम्बन्ध में **''संक्रमण तारीख''** से वह तारीख अभिप्रेत है, जिसको संबद्ध राज्य में राज्य माल और सेवा कर अधिनियम प्रवृत्त होता है;

(द) **''संक्रमण अवधि''** से संक्रमण तारीख से पांच वर्ष की अवधि अभिप्रेत है; और

(ध) **''संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम''** से संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है।

(2) ऐसे शब्दों और पदों का, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किन्तु केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उन अधिनियमों में क्रमशः उनका है।